न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – भादो सिंह .... ।

बनाम

वाद सं0 120/2022

द्वितीय पक्ष – तेतरा मांझी ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
12/5/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 48/2022 दिनांक 25/09/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) भादो सिंह उम्र 40 वर्ष पिता स्व0 बंधन सिंह ग्राम रोकेडेगा थाना पालकोट, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) तेतरा मांझी उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 जतरू मांझी (2) लालदेव मांझी पिता तेतरा मांझी (3) गणेश मांझी उम्र 25 वर्ष पिता तेतरा मांझी तीना ग्राम रोकेडेगा अम्बा टोली थाना पालकोट जिला गुमला के बीच मौजा रोकेडेगा के खाता सं0 70, प्लॉट सं0 886, 889 रकबा 0.65, 0.68 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2023.06.16 14:00:47 +05:30 Location: 192.168.50.239	